

पुलिस संगठन में महिलाओं के लिए मॉडल नीति

संदर्भ -

- पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस व्यवस्था को अधिक सक्षम बनाने के लिए, तथा महिलाओं हेतु सक्षम कार्य वातावरण व समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु एक मॉडल नीति की आवश्यकता है, सिर्फ आरक्षण देना पर्याप्त नहीं है।
- भारत में पुलिसिंग को समावेशी, गैर भेदभाव पूर्ण और कुशल बनाकर महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करना चाहिए।
- यदि पुलिस व्यवस्था में महिलाओं हेतु मॉडल नीति बनाई जाती है, तो उसमें कुछ तत्वों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए जैसे-पुलिस में महिलाओं को सभी स्तरों पर भागीदारी देने व पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि करना होगा।
- मीडिया के द्वारा महिलाओं में शैक्षणिक व सामाजिक जागरूकता हेतु कार्यक्रम चलाए जाए।

आवश्यकता क्यों है?

- वर्तमान आंकड़ों के अनुसार पता चलता है कि, महिलाओं की भूमिका पुलिस व्यवस्था में निचले स्तर पर केन्द्रित हैं। महिलाओं को उन्नति के समान अवसर सुनिश्चित होने चाहिए।
- महिलाओं को पुलिस में ज्यादातर डेस्क वर्क दे दिया जाता है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं को अग्रणी परिचालन में कार्य करने हेतु अवसर उपलब्ध हो सकें तथा डेस्क वर्क पुरुष व महिलाओं को समान रूप से आर्बिट्र करना चाहिए।
- महिलाओं पर परिवार व बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी होती है, फिर भी पुलिस विभाग में अभी तक चाइल्डकेयर समर्थन प्रणाली का अभाव है। पुलिस विभागों को इस हेतु महिला कर्मियों के स्थानांतरण व पोस्टिंग पर निर्णय लेने हेतु संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है।

- जहां तक संभव हो, महिलाओं को निगरानी अधिकारियों के परामर्श से महिलाओं को उनके गृह जिलों में तैनात किया जाना चाहिए।
- अधिकांश राज्यों को पुलिस विभागों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय तथा चेंजिंग रूप उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना चाहिए।
- पुलिस विभाग में महिलाओं के उत्पीड़न और भेदभाव के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनानी चाहिए। तथा कार्यस्थल पर उत्पीड़न को रोकने के लिए आंतरिक शिकायत समितियों को गठित किया जाना चाहिए।
- विभागों को 2013 के कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का संचालन करना चाहिए।
- केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लैगिंग असमानता हासिल करने की दिशा में व्यापक ढांचा अपनाने की आवश्यकता है।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्तमान में पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी 7% है।
2. केन्द्र व राज्यों विशिष्ट रैंकों में महिलाओं को 30% आरक्षण प्रदान किया जाता है।
3. अधिकांश राज्यों में महिलाओं को पुलिस व्यवस्था की अग्रणी परिचालन व्यवस्था में स्थान दिया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) उपर्युक्त सभी

प्रारंभिक परीक्षा का उत्तर (A)

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न-पुलिस जैसे संगठन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने एवं लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना वर्तमान समय की मांग की ओर इंगित करती है। इस संदर्भ के प्रकाश में पुलिस सुधार हेतु बनाए गए आयोगों द्वारा महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के दिशा-निर्देशों पर चर्चा कीजिए।



